



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 26.11.2022

1-थाना इकोटेक -3 पुलिस द्वारा दुकान से चोरी करने वाले एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 गीजर, 01 रूम हीटर व 01 अवैध चाकू के साथ बरामद ।

दिनांक 26.11.2022 को थाना इकोटेक 03 पुलिस द्वारा दुकान से चोरी करने वाले चोर अभियुक्त प्रेम पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मीरपुर पोस्ट कलाई थाना हरदुआगंज अलीगढ हाल पता ग्राम हल्दौनी थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर को कुलेसरा पुस्ता से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 24.11.2022 को ग्राम हल्दौनी मार्केट में स्थित वादी की दुकान KANIKA TRADING CO से चोरी किये हुये 02 गैस गीजर ,01 रूम हीटर व 01 अवैध चाकू बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

अभियुक्त प्रेम पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मीरपुर पोस्ट कलाई थाना हरदुआगंज अलीगढ हाल पता ग्राम हल्दौनी थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 90/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक -3 जिला गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 480/22 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक03 जिला गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0सं0 481/22 धारा 4/25 ए0 एक्ट थाना इकोटेक 03 जिला गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

- 1.एक गैस गीजर (EURO POWER MFD And Mktd By Savi Industries GZB
- 2.एक गीजर Hindware Company जिसका सीरियल न0 AACMD0120G001382 कम्पनी HSIL LTD
- 3.LAZER कम्पनी की ROOM HEATER , S.N -VEA211017624
- 4.एक अवैध चाकू।



#पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में गैंगस्टर मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल के द्वारा अपराध कारित अर्जित की गयी लगभग 07 करोड रूपये की सम्पत्ति को कुर्क के लिये आदेश किया गया।

पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में आज 26.11.2022 को न्यायालय पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल निवासी फ्लैट नं0 1001 ए टावर नं0 10 फेस-1, गोल्फ स्टेट सेक्टर 65 जनपद गुरुग्राम, हरियाणा के द्वारा अवैध रूप से अर्जित निम्न सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये आदेशित किया गया है। जो मु0अ0सं0 468/2021 अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 से सम्बन्धित है। चालानी थाना- सैक्टर-58 नोएडा।

कुर्क के लिये आदेशित की गयी चल व अचल सम्पत्तियों का विवरण-

चल सम्पत्ति-

1-वाहन गाडी इनोवा क्रिस्टा पंजीकरण सं0 एचआर 26 डीजैड 1122, अनुमानित कीमत- 10 लाख रुपये

2-वाहन ऑडी A435TDI पंजीकरण सं0 यूपी 19 सी 7262, अनुमानित कीमत- 30 लाख रुपये

अचल सम्पत्ति-

1-आवासीय फ्लैट अपार्टमेन्ट नं0 04 06 बी 6th फ्लोर टावर नं0 पनोरमा सूट्स-04 एम3एम गोल्फ स्टेट गांव मैडावास तहसील बादशाहपुर सैक्टर 65 गुरुग्राम, हरियाणा, अनुमानित कीमत- 6 करोड 60 लाख रुपये

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।

#कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री जे0 पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के परिणाम स्वरूप नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के आरोपी को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री जे0पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरूप अभियुक्त राजेश यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी भदीपुर थाना मुन्शी गंज जिला अमेठी हाल निवासी सैक्टर 15 नया बांस थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर को मु0अ0सं0 1596/2017 धारा 354घ, 506 आईपीसी व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम में आज दिनांक 26/11/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।